कार्यपालिक सारांश

खनिज बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। सीमित एवं अनवीनीकरणीय होने के कारण इनका विदोहन दीर्घकालीन राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। खनिजों का दोहन एवं विकास अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थानीय आबादी के उत्थान से घनिष्ठ संबंध रखता है। चूंकि यह पर्यावरण एवं सामाजिक संरचना में भी बाधा डालता है, इसलिए इनके संरक्षण तथा विकास के मध्य तारतम्य एवं संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 54 एवं राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 23 के प्रावधानों के अनुसार खनिज संसाधनों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों का है।

खानों एवं खनिजों से प्राप्तियों में मुख्य रूप से रायल्टी सम्मिलित है जो खनिजों की मात्रा को खानों से हटाने या उपभोग करने पर विशिष्ट रूप से या मूल्य आधार पर प्रभारित की जाती है। खनन कार्यो के लिये पट्टे पर दिये गये क्षेत्र पर अनिवार्य भाटक का आरोपण किया जाता है। खनिज साधन विभाग की अन्य प्राप्तियों में आवेदन शुल्क, लाइसेंस फीस, पूर्वेक्षण प्रभार, शास्तियाँ एवं देय राशियों के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज इत्यादि हैं। मुख्य खनिजों के मामलों में रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, परन्तु इनका संग्रहण एवं उपयोग राज्य शासन द्वारा किया जाता है, जबकि गौण खनिजों के मामलों में रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरें राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जाती है तथा इनका संग्रहण एवं उपयोग भी राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनिज संपदा संपन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की लगभग 28 खनिजें मौजूद हैं जिनमें बहुमूल्य रत्न जैसे हीरा, लौह अयस्क, कोयला, टिन अयस्क, बाक्साइट और सोना सम्मिलित हैं। हीरा तथा स्वर्ण के भण्डार के साथ ही प्रदेश भारत का एक मात्र टिन उत्पादक खान और बैलाडीला जिला दंतेवाडा में विश्व का एक बेहतरीन लौह अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है। वर्ष 2010-11 में खनन प्राप्तियाँ ₹ 2470.44 करोड़ थी जो राज्य के कुल राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व का क्रमशः 19.23 एवं 64.41 प्रतिशत थी।

हमने अवधि 2006-07 से 2010-11 के मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की थी कि क्या विभिन्न अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाये नियमों के प्रावधानों का खनिज साधन विभाग द्वारा प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया गया। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि क्या विभाग में विभिन्न फीस, रायल्टी, शास्ति आदि की संगणना, आरोपण और वसूली की प्रभावी व्यवस्था अस्तित्व में है एवं दोषी अथवा खनिजों के अनधिकृत खनन के मामलों में प्रभावी कार्यवाही की गई है। हमने विभाग के आंतरिक नियंत्रणों एवं निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण किया ।

हमने पाया कि केन्द्र द्वारा अक्टूबर 2009 में राज्य सरकारों को प्रसारित आदर्श राज्य खनिज नीति के तर्ज पर किसी खनिज नीति का विकास, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ शासन ने नही किया है।

हमने देखा कि खनिज साधन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड के न होने तथा खनि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों के कम प्रतिशत के कारण कमजोर थी, विभाग की गतिविधियों पर आंतरिक जाँच हेतु कोई प्रभावी प्रणाली नही थी। शासकीय तौल कांटे न होने से निजी तौल कांटों से उत्खनित खनिजों की तुलाई करने से राजस्व की रिसाव की संभावना थी।

हमने पाया कि खनन पट्टो के आवेदन बहुत अधिक संख्या में लंबित होने के परिणामस्वरूप खनिजों का विदोहन नहीं हुआ। हमने खनन योजना के अनुरूप खनन संक्रियाएं नहीं होने तथा एक अनुमोदित खनन योजना के बिना उत्खनन के प्रकरण भी देखे। शिथिल खदानों के पट्टों के निस्तीकरण में सारवान विलम्ब हुआ।

उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा औसत वार्षिक रायल्टी की गलत गणना के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

हमारी जाँच में अभिवहन पास के दुरूपयोग और बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का प्रेषण, तथा अनधिकृत उत्खनन के प्रकरणों में खनिज मूल्य की अवसूली के भी प्रकरण उजागर हुये।

हमने पाया कि पर्यावरणीय सम्मति के बिना काफी अधिक संख्या में पत्थर क्रशर पट्टे कार्यरत थे। इन पर नजर रखने के लिए विभाग के पास निगरानी तंत्र नहीं था। हमने आगे देखा कि मुख्य एवं गौण दोनों खनिजों पर देय अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर न तो निर्धारित किये गये और न ही वसूल किये गये थे।

हमने पट्टों के प्रबंधन में अनियमितताएँ, अनधिकृत उत्खनन, रायल्टी का अनिर्धारण/कम निर्धारण और वसूली, अभिवहन पास का दुरूपयोग आदि के कुल ₹ 294.54 करोड़ की अनियमितताएँ पाई जो इस प्रतिवेदन के आगामी अध्यायों में वर्णित है।